[तार]ीख [पे]शी	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
[illegible]/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि॰ 30/10/25 को पेश हो। [signature] 25/9/25	शैतानसिंह हरिगिरी
30/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्राण्पत्र में उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि॰ 27/11/25 को पेश हो। [signature] 30/10/25	शैतानसिंह मनोहरलाल
27/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश। दिनांक 24/12/25 को पेश हो। [signature]	
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] बहस [illegible] उभयपक्ष के परिपेक्ष्य [illegible] पत्रावली का [illegible] किया गया। धारा - [illegible] निम्न के प्राण्पत्र को adjudicate करने के [illegible] 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :— (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- अप्रा॰ प्रार्थीगण द्वारा कथन	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

किया गया कि भैरूलाल, रामलाल पिसरान मांगीलाल धाकड़ दोनों सगे भाई थे। मृतक खातेदार मांगीलाल की मृत्यु के बाद उनकी वादग्रस्त भूमि दोनों पुत्रों-भैरूलाल व रामलाल एवं बेवा रामप्यारी के खाते तथा बेवा रामप्यारी की मृत्यु के बाद दोनों भाईयों के खाते हिस्से ½-½ दर्ज हुई थी। ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 898 किता 6 रकबा 1.8083 hect एवं खाता सं० 900 किता 2 रकबा 2.3143 हैक्टे० दोनों भाईयों के हिस्से ½-½ दर्ज होकर आधे-आधे भाग पर कब्जा काश्त चली आ रही थी। भैरूलाल एवं रामलाल के फौत होने के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे चली आ रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में से 8-05 बीघा - 08-05 बीघा पर काबिज काश्त थे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा बलपूर्वक प्रार्थीगण की 8-05 बीघा भूमि में से 03 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है और प्रार्थीगण की फसल को नष्ट कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना सुनेल में अप्रार्थीगण के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम सुनेल की वादग्रस्त भूमि पर कब्जेकाश्त के समर्थन में 07 गवाहों के शपथ पत्र AW_1 से AW_7 भी पेश किये हैं जिनमें से AW_1 से AW_7 अप्रार्थीगण के गवाहों के counter-claim के ... पेश किये हैं। अतः वादग्रस्त आराजी के हिस्से ½ को प्रार्थीगण के Recorded Khatedar एवं कब्जाधारी होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा सन्तुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अप्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता भैरूलाल एवं अप्रार्थी 1 से 6 के पिता रामलाल – दोनों सगे भाई थे और पिता मांगीलाल की आराजी पर हिस्से ½ – ½ के सह-खातेदार दर्ज हुए थे। आगे तर्क किया कि मांगीलाल जी धाकड़ के खाते ग्राम सुनेल में एवं ग्राम जसवंतपुरा में क्रमशः 16-10 बीघा एवं 36-04 बीघा कुल 52-14 बीघा भूमि थी। ग्राम जसवंतपुरा की 36-04 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की करीब 08 बीघा भूमि का पूर्व में ही बेचान कर दिया। आगे तर्क किया कि मांगीलाल ने दोनों पुत्रों के मध्य ग्राम सुनेल एवं जसवंतपुरा की भूमि का बराबर बटवारा कर कब्जा सौंप दिया था। भैरूलाल के बटवारे में ग्राम सुनेल के माल में 4-05 बीघा, एवं ग्राम जसवंतपुरा में करीब 22 बीघा भूमि जबकि रामलाल को बटवारे में ग्राम जसवंतपुरा में करीब 14 बीघा एवं ग्राम सुनेल में करीब 12 बीघा भूमि आई थी। अर्थात भैरूलाल को बटवारे में सुनेल के माल में करीब 4 बीघा कम भूमि मिली थी तो जसवंतपुरा के माल में 05 बीघा ज्यादा भूमि मिली थी। अप्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया कि दोनों पक्ष इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट दिनांक 18/8/25 में भी सुनेल की आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा/काश्त (ख०नं० 2918 रकबा 2.0867 hact) दिखाया है। पुनः तर्क किया कि प्रार्थीगण की 03 भूमि पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण द्वारा कोई कब्जा नहीं किया है बल्कि अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की आराजी ख0न0 2918 रकबा 2.0867 hect में से 3 बीघा से अधिक भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा ट्रेक्टरो से फसल को नष्ट कर जबरन कब्जा किया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने police station में दिनांक 17/5/2025 को परिवाद दिया था जिसमें executive Magistrate Sunel द्वारा प्रार्थीगण को 6 माह तक पाबंद कर जमानत व मुचलके पर रिहा किया था। इसके बाद भी प्रार्थीगण ने लडाई झगडा जारी रखे और पुनः दिनांक 15/8/25 को अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में खडी फसल पर ट्रेक्टर चलाकर नष्ट कर दिया तो पुलिस थाना Sunel में प्रार्थीगण के विरूद्ध u/s 3(5), 324(5) व 329(3) BNS-2023 में FIR दर्ज कराई थी जिसमें ACJM court Bhawanimandi द्वारा प्रार्थीगण को जमानत-मुचलके पर रिहा किया गया था। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा संतुलन दोनों ही अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अधि0 प्रार्थीगण द्वारा रिबटल बहस में पुनः तर्क किया कि प्रार्थीगण के पिता भैरूलाल जी ने ग्राम जसवंतपुरा की आराजी में से ख0न0 91 व ख0न0 95 में अपने हिस्से का अप्रार्थीगण के पिता रामलाल के पक्ष में good faith में [illegible] किया था। प्रार्थीगण ने 02 [illegible] शपथ पत्र [illegible] किये है और इन शपथ कर्ताओं द्वारा [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में बयान दिये है और अप्रार्थीगण द्वारा गलत शपथ पत्र लिखवाने का बयान किया है जिससे अप्रार्थीगण की झूठ साबित होती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 898 किता 6 कुल रकबा 1.8083 hect प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थीगण का सयुक्त हिस्सा 1/2 दर्ज है अर्थात प्रार्थीगण Recorded Khatedar tenant है। इसी प्रकार ग्राम सुनेल की आराजी खाता सं० 910 किता 2 कुल रकबा 2.3143 hect भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी मे दर्ज है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम जसवंतपुरा तहसील की जमाबंदी संवत 2057-60 के अनुसार खाता सं० 95 किता 7 कुल रकबा 25-01 बीघा भूमि मांगीलाल दत्तक पुत्र चंदर धाकड के खाते दर्ज थी जबकि खाता सं० 96 किता 2 कुल रकबा 11 बीघा भूमि मांगीलाल पुत्र मगन धाकड के खाते दर्ज थी। मांगीलाल पुत्र मगन दत्तक पुत्र चंदर धाकड के फौती इंतकाल सं० 275 दिनांक 05/04/2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं० 95 व 96 की आराजी मांगीलाल के LRs भैरूलाल व रामलाल पुत्रान एवं रामप्यारी बेवा के 1/3-1/3 खाते दर्ज हुई।

ग्राम जसवंतपुरा के नामान्तरण सं० 441 दिनांक 15/11/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं० 92 किता 6 (ख०न० 111, 137, 262, 263, 264 व 354) कुल रकबा 23-06 बीघा तथा खाता सं० 93 किता 1 (ख०न० 91) रकबा 6-0[illegible] बीघा [illegible] रामलाल व भैरूलाल पिसराम मांगीलाल के हिस्से 1/2-1/2 दर्ज थी जिसका दोनो [illegible] आपसी सहमति से खाता विभाजन हुआ था जिसमे ख०न० 262, 263, 264, 354 व 91 किता 5 कुल रकबा 15-05

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	बीघा भूमि भैरुलाल के खाते तथा ख०न० 111, 131, 91 किता 3 कुल रकबा 14-04 बीघा भूमि रामलाल के खाते दर्ज हुई थी।
	ग्राम जसवंतपुरा की जमाबंदी संवत 2065-68 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल किता 7 कुल रकबा 25-01 बीघा में से किता 6 रकबा 23-06 बीघा तो भैरुलाल, रामलाल व बेवा रामप्यारी के 1/3-1/3 खाते दर्ज थी जबकि ख०न० 208 रकबा 1-15 बीघा Transfer होकर बलवंतीबाई पत्नि भगवानसिंह धाकड़ के नाम पर्चे नामा० क्र० 343 दर्ज हो गई थी।
	इसी प्रकार ख०न० 91 रकबा 6-03 बीघा रामलाल, भैरुलाल व बेवा रामप्यारी के हिस्से 1/3-1/3 एवं ख०न० 95 रकबा 4-17 बीघा भूमि पर्चे नामान्तरण क्र० 344 व 345 रामलाल पिता मांगीलाल के खाते दर्ज हो गई थी। रामलाल के पक्ष में भैरुलाल व रामप्यारी ने बैचान किया या हकत्याग - यह नामान्तरण क्र० 344 व 345 की सत्यप्रति के अभाव में स्पष्ट नहीं है।
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम जसवंतपुरा की कुल 36-01 (25-01 + 11) बीघा भूमि से ख०न० 208 रकबा 1-15 बीघा का रामलाल, भैरुलाल व रामप्यारी ने संयुक्त रूप से अन्तरण बलवंतीबाई को किया है और [illegible] बीघा का बैचान या हकत्याग भैरुलाल [illegible] रामलाल के पक्ष [illegible] आवे० अप्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण के पिता भैरुलाल ने ग्राम जसवंतपुरा में अपने हिस्से 1/2 याने 18 बीघा में से 08 बीघा का बैचान कर दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

ग्राम सुनेल की जमाबंदी संवत 2065-68 के अनुसार खाता सं० 724 किता 2 (2918, 2919) कुल रकबा 9-03 बीघा भैरूलाल, रामलाल पिसरान मांगीलाल हिस्सा 1/2-1/2 व्यक्ति खाता सं० 784 किता 6 (2930, 2931, 2932, 3098/2922, 3100/2921, 3110/3924) कुल रकबा 7-03 बीघा भूमि मांगीलाल पुत्र मगनलाल धाकड़ के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबंदी में ग्राम सुनेल के दोनों खाता सं० 910 व 898 कुल भूमि 4.1226 hect यानी 16-06 बीघा भूमि रामलाल व भैरूलाल के वारिसान के हिस्से 1/2-1/2 दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे पिता मांगीलाल धाकड़ द्वारा मौखिक पारिवारिक बंटवारा करके या लिखित बंटवारा करके अप्रार्थीगण के पिता रामलाल को सुनेल की भूमि जबकि प्रार्थीगण के पिता भैरूलाल को जसवंतपुरा की भूमि दी गई हो। प्रार्थीगण द्वारा पेश शपथपत्रों AW1 से AW7 के अनुसार रामलाल व भैरूलाल दोनों भाईयों के मध्य ग्राम सुनेल व ग्राम जसवंतपुरा की भूमियों का हक व हिस्से अनुसार बंटवारा होने का अंकन है जबकि अप्रार्थीगण के शपथपत्रों NAW1 से NAW4 में से तीन (03) कमलाबाई, सालगराम एवं कैलाश ने अपने बयानों को बदल कर प्रार्थीगण के पक्ष में दिये। अप्रार्थीगण द्वारा पेश पटवारी [illegible] मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18/[illegible] के अनुसार ग्राम सुनेल के ख०नं० 2918 [illegible] पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया है जबकि सुनेल की शेष भूमि ख०नं० 2919 एवं खाता सं० 898 किता 6 के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी/रिपोर्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म के में ज

नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/2 के recorded khatedar Co-tenants है और written or oral family settlement का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण के तीनों गवाहों ने अपने बयान बदल कर प्रार्थीगण के पक्ष में दिये है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18/8/2025 में भी ग्राम सुनेल की सम्पूर्ण आराजी का उल्लेख नहीं है और रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी संदेह से परे नहीं है। ग्राम जसवंतपुरा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में 36-01 बीघा में से 22 बीघा से अधिक होना भी साबित नहीं है। प्रार्थीगण के पिता मैंदलाल द्वारा जसवंतपुरा की भूमि में से 08 बीघा का बेचान करना भी साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में सहखातेदार प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन जारी होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होता साबित है। प्रार्थीगण के Khatedari Rights in co-tenancy land के संरक्षण के लिए भी सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थीगण को ग्राम सुनेल की पुश्तैनी पारिवार की शामलाती भूमि हिस्सा 1/2 से वंचित किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे को मान्यता दी गई तो प्रार्थीगण को अपनी पैतृक आराजी में खातेदारी अधिकारों

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	9.	
	का हनन होगा परिणामतः अपूरणीय क्षति कारित होगी और वाद-बहुलता भी बढ़ेगी ।	
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं0 898 किता 6 एवं खाता सं0 910 किता 2 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की तादफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थीगण किसी भाग विशेष पर खाता विभाजन होने तक पक्षकार कब्जा नहीं करे। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner